vinetur

CBP ने विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड के लिए 2027 तक कड़े सुरक्षा मानक अनिवार्य किए

नियम के तहत कंपनियों को 5 जनवरी, 2027 से पहले CTPAT सत्यापन लेना होगा या CTPAT से सत्यापित कस्टम्स ब्रोकर की सेवाएं लेनी होंगी

शनिवार, 14 नवंबर 2026



अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) उन शर्तों को और कड़ा कर रहा है जिनके तहत विदेशी कंपनियां अमेरिका में आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड के रूप में काम कर सकती हैं। इस बदलाव के चलते कई आयातकों को 5 जनवरी, 2027 से पहले सीमा पर माल की कस्टम्स निकासी की प्रक्रिया पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।

6 नवंबर को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित अंतरिम अंतिम नियम में CBP ने विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड के लिए अपने शब्दों में अधिक कड़ी आवश्यकताएं तय कीं। Wine and Spirits Shippers Association के शुक्रवार, 13 नवंबर के लॉजिस्टिक्स अपडेट के अनुसार, विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड को आम तौर पर CTPAT के तहत सत्यापित होना होगा या CTPAT से सत्यापित कस्टम्स ब्रोकर की सेवाएं लेनी होंगी।

आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड वह पक्ष होता है जो कस्टम्स में माल की प्रविष्टि, नियमों के अनुपालन और शुल्कों तथा फीस के भुगतान के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। कई मामलों में यह भूमिका अमेरिकी आयातक या वितरक निभाता है, लेकिन कुछ आपूर्ति शृंखलाओं में विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड व्यवस्था का इस्तेमाल होता है, जिसके तहत विदेश में स्थित आपूर्तिकर्ता या कोई अन्य गैर-अमेरिकी इकाई यह जिम्मेदारी ले सकती है। नया नियम ऐसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए अनुपालन की कसौटी कड़ी करता है।

WSSA के अनुसार, CBP ने Forms 3461 और 7501 में तीन नए डेटा फ़ील्ड भी जोड़े हैं। ये माल की रिहाई और आयात प्रविष्टि के सारांश के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य फॉर्म हैं। इस जानकारी के लिए एसोसिएशन ने CBP के संदेश CSMS #70381183 का हवाला दिया। एसोसिएशन ने कहा कि जिन कंपनियों को अपने आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड की स्थिति को लेकर संदेह है, जो विदेशी IOR व्यवस्था के ज़रिए आयात करती हैं या जिनके विदेशी आपूर्तिकर्ता आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं, उन्हें अभी नियम की समीक्षा करनी चाहिए।

एजेंसी आपूर्ति शृंखला से जुड़ी अन्य प्रकटीकरण संबंधी चिंताओं पर प्रतिक्रिया जुटाना जारी रखे हुए है और यह उपाय अंतरिम रूप से लागू हो रहा है। WSSA ने बताया कि आपूर्ति शृंखला प्रकटीकरण पर CBP की अलग अग्रिम सूचना के लिए टिप्पणियां देने की अवधि 1 दिसंबर को समाप्त होगी।

यह उपाय कई उद्योगों के लिए अहम है, लेकिन पेय पदार्थों के आयात पर इसका खास असर पड़ सकता है। कुछ वाइनरी, डिस्टिलरी और विदेशी व्यापारिक कंपनियां अमेरिकी बाज़ार में उत्पाद पहुंचाने के लिए विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। इन कारोबारों और उनसे खरीदारी करने वाले अमेरिकी वितरकों तथा आयातकों को अब तय करना पड़ सकता है कि CTPAT सत्यापन हासिल करें, सत्यापित कस्टम्स ब्रोकर का इस्तेमाल करें या अपनी आयात व्यवस्था बदलें। इसके चलते अनुपालन का काम बढ़ सकता है, नए ब्रोकरों के साथ संबंध बनाने पड़ सकते हैं और वाइन, स्पिरिट या अन्य पेय पदार्थों को देश में लाने की लागत भी बढ़ सकती है।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब आयातक पहले से ही अधिक अनिश्चित व्यापार माहौल से जूझ रहे हैं। शुक्रवार, 13 नवंबर के उसी अपडेट में WSSA ने बताया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने चीन में निर्मित या चीन द्वारा संचालित जहाजों पर लगने वाली Section 301 समुद्री फीस के निलंबन को दो महीने बढ़ाने को अंतिम रूप दे दिया है। इससे इसकी समयसीमा बढ़कर 9 जनवरी, 2027 हो गई है। एसोसिएशन ने कहा कि आयातकों को 10 जनवरी, 2027 को फिर भी एक प्रभावी तारीख मानना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि निलंबन को दोबारा बढ़ाया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।

WSSA ने कहा कि वह 17 नवंबर को होने वाले वेबिनार में नई कस्टम्स आवश्यकताओं पर चर्चा करेगा। वेबिनार का केंद्र वह होगा जिसे एसोसिएशन ने कस्टम्स प्रवर्तन का नया दौर बताया है। सत्र में विदेशी आयातक नियम, आपूर्ति शृंखला प्रकटीकरण प्रस्ताव, CTPAT के लाभ, कस्टम्स जांच में बढ़ोतरी और CF29 तथा दंड संबंधी नोटिसों से निपटने के तरीकों पर चर्चा होगी। वक्ताओं में Harbour Island Consulting के सह-संस्थापक और अध्यक्ष तथा CBP के Office of Field Operations के पूर्व कार्यकारी सहायक आयुक्त William Ferrara और WSSA की प्रबंध निदेशक Alison Leavitt शामिल हैं।